

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।


क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/17/

दिनांक:- /04/2017

—:: संशोधित आदेश ::—

राज्य सरकार के पत्रांक प0 12(3)चिस्वा/2/2017/एम-1933 दिनांक 03.03.17 के द्वारा डॉ0 मदन लाल मुण्ड, चिकित्सा अधिकारी के लम्बी अनुपस्थिति पश्चात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लूनन्दा, उदयपुर में पदस्थापन किये गये आदेश में आंशिक संशोधन कर इनका पदस्थापन सामु0 स्वा0 केन्द्र जिलों, सीकर में किया जाता है तथा चिकित्सक की नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण तिथि से उपस्थिति मान्य होगी।

उक्त आदेश राज्य सरकार की आई.डी. क्रमांक 593 के अनुसरण में जारी किये गये है।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/17//128

दिनांक:-/8/04/2017

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, (ग्रुप-2) राज0 जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-(संबंधित)।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी सीकर को निर्देशित किया जाता है कि डॉ0 मदन लाल मुण्ड, चिकित्सा अधिकारी के लम्बी अनुपस्थिति प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही के आरोप पत्रादि सीसीए नियम-17 के तहत तैयार कर भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. निजि/आदेश पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।